File No. M-02022/14/2020-CDD Government of India Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Animal Husbandry and Dairying (Credit, Extension and Publicity Division)

> Krishi Bhawan, New Delhi Dated: 08.10.2021

То

1. All Principal Secretary (AHD) of States/UTs

2. MDs of State Milk Federations/Unions of All States/UTs.

Guidelines/SoP for exclusive Kisan Credit Cards (KCC) for Animal Husbandry, Subject: Dairying and Fisheries farmers-reg.

Ma'am/Sir

I am to inform that this Department and D/o Financial Services in order to further streamline the process of credit delivery through KCC to the animal husbandry and fisheries farmers, a Standard Operating Procedure (SoP) for banks/ guidelines for applicant for issue of separate KCC for animal husbandry, dairy and fisheries farmers have been finalized in consultation with the stakeholders including M/o FAHD, RBI, NABARD and IBA.

Accordingly, DFS vide its letter No.3/5/2020-AC dated 24.09.2021 (copy enclosed) has advised all the PSBs and NABARD in respect of coop Banks and RRBs to use the SOP as a guiding document and determine the operational aspects of KCC in accordance with their board approved policies. In this letter it was clearly mentioned that while issuing separate KCC for animal husbandry, dairy and fisheries, Banks may look into the operational aspects with respect to issuing KCC to crop or allied activities separately or together. It was also clarified that stand-alone separate KCC for allied activities may be issued exclusively for animal husbandry, dairying and fisheries and other allied activities. In case of composite KCC, which includes credit facility for agriculture and allied activities or augmentation of credit limit on the existing KCC(agriculture) due to add on requirement for allied activities, no separate KCC should be issued.

In view of above, you are requested to direct concerned officers/Nodal officers in your State/organization to give wider publicity and follow up with banks regarding submission of KCC application to respective bank branches as per the enclosed SoP/guidelines (Both in English and Hindi) with all relevant documents to enable PSBs to expeditiously process them for sanctioning KCC to all eligible animal husbandry and dairy farmers.

Encl:A/a

pl upload & long of this AHV websit.

Locured Yours sincerely

(Ajith Kumar K) Assistant Commissioner (DD)

Copy to:

1. Deputy Secretary (AC), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Jeevandeep Building, Parliament Street, New Delhi.

y see, ANU

F. No. 3/5/2020-AC GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Finance Department of Financial Services

Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, Dated: 24th September, 2021

To

- 1. MD & CEOs of all PSBs
- 2. Chairman NABARD

Subject:- KCC for Animal Husbandry, Dairying and Fisheries-reg.

Sir,

As you are aware, RBI vide their Master Circular dated 4.2.2018 extended the KCC facility to the farmers engaged in animal husbandry and fisheries for their working capital requirement. Further, keeping in view the importance of livestock sector and its contribution to overall GDP in agriculture, a separate target of Rs.61,650 crore has been earmarked for animal husbandry and fisheries within the overall term loan target of Rs.6,80,000 crore for agriculture during 2021-22.

- 2. To further streamline the process of credit delivery through KCC to the animal husbandry and fisheries farmers, a Standard Operating Procedure (SOP)/Guidelines for issue of separate KCC for animal husbandry, dairy and fisheries farmers have been finalised (enclosed at Annexure) in consultation with the stakeholders including Ministry of AHDF, RBI, NABARD and IBA.
- 3. PSBs and NABARD in respect of Cooperative Banks and RRBs are advised to use the SOP as a guiding document and determine the operational aspects of KCC in accordance with their board approved policies.
- 4. While issuing separate KCC for animal husbandry, dairy and fisheries, Banks may look into the operational aspects with respect to issuing KCC to crop or allied activities separately or together. It is clarified in this regard that stand-alone separate KCC for allied activities may be issued exclusively for animal husbandry, dairy, fisheries and other allied activities. In case of composite KCC, which includes credit facility for agriculture and allied activities or augmentation of credit limit on the existing KCC (agriculture) due to add on requirement for allied activities, no separate KCC should be issued.

Yours faithfully,

(A.K.Das)

Deputy Secretary

Email: acsec-bkg@nic.in

Ph.No: 23748736

Enclosure: as above

CC:

1. Ms. Varsha Joshi, JS (CDD), DAHD wrt d.o. letter dated 05,08.21

2.CEO IBA, with the request to issue similar advisory to Private Sector Banks.

Guideline for Animal Husbandry and Fisheries Kisan Credit Card -Applicant

S. No.	Title	Criteria
1	Purpose	KCC facility to meet the Short Term credit requirements of rearing of animals, birds, fish, shrimp, other aquatic organisms, capture of fish.
2	Eligibility	
	Fishery	1.Inland Fisheries and Aquaculture:
		Fishers, Fish Farmers (individual & groups/ partners/ share croppers/ tenant farmers), Self Help Groups. Joint Liability Groups and women groups.
		The beneficiaries must own or lease any of the fisheries related activities such as pond, tank, open water bodies, raceway, hatchery, rearing unit, possess necessary license for fish farming and fishing related activities, and any other State specific fisheries and allied activities.
		2 Marine Fisheries:
		Beneficiaries listed above, who own or lease registered fishing vessel/boat, possess necessary fishing license/permission for fishing in estuary and sea, fish farming/mariculture activities in estuaries and open sea and any other State specific fisheries and allied activities.
	Poultry and small ruminant	Farmers, poultry farmers either individual or joint borrower, Joint Liability Groups or Self Help Groups including tenant farmer of sheep/ goats/ pigs/poultry birds/rabbit and having owned/rented/leased sheds.
	Dairy	Farmers and Dairy farmers either individual or joint borrower, Joint Liability Groups or Self Help Groups including tenant farmers having owned /rented/leased sheds.
	Scale of Finance	The scale of finance will be fixed by the District Level Technical Committee (DLTC)/State Level Technical Committee (SLTC) based on local cost worked out on the basis of per per unit/ per animal/per bird etc. The maximum period for assessment of working capital requirement may be based on the cash flow statement or completion of one production cycle.
		Fisheries and Animal Husbandry experts of the Govt. may be made members of the DLTC for giving technical inputs for assessing the cash credit requirement.

	•		
		Fishery	The working capital components in fisheries, under the scale of finance, may include recurring cost towards seed, feed, organic and inorganic fertilisers, lime/other soil conditioners, harvesting and marketing charges, fuel/electricity charges, labour, lease rent (if leased water area) etc. For capture fisheries, working capital may include the cost of fuel, ice, labouring charges, mooring/landing charges etc. may form part of the scale of finance. The working capital components in Animal Husbandry, under the scale of
		Husbandry	finance, may include recurring cost towards feeding, veterinary aid, insurance of the milch animals, labour, water and electricity supply.
	4	Drawing power	The drawing power will be worked on the basis of the latest Valuation of stocks, receivables and/or cash flows as per terms of sanction.
	5	Repayment	The loan will be in the nature of a revolving cash credit limit. Repayment will be fixed as per the cash flow/income generation pattern of the activity undertaken by the borrower.
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	.6	Rate of interest	The rate of interest will be as stipulated by RBI guidelines issued from time to time.
	7	Interest subvention	Government of India has issued the operational guidelines of the Interest Subvention Scheme for Kisan Credit Card facility to fisheries and animal husbandry farmers for a period of two years i.e. 2018- 19 and 2019-20 with the following stipulations:
	-		(i) In order to provide short-term loans upto Rs. 2 lakh to farmers involved in activities related to Animal Husbandry and Fisheries, through a separate KCC for these activities, apart from the existing KCC for crop loan, at a concessional interest rate of 70/ per annum during the years 2018-19 and
			2019-20, it has been decided to provide interest subvention of 2% per annum to lending institutions viz. Public Sector Banks (PSBs) and Private Sector Commercial Banks (in respect of loans given by their rural and semi-urban branches only) on use of their own resources. This interest subvention of 2% will be calculated on the loan amount from the date of its disbursement /
			drawal upto the date of actual repayment of the loan by the farmer or up to the due date of the loan fixed by the banks, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year. In case of farmers possessing KCC for raising crops and involved in activities related to animal husbandry and/or fisheries, the KCC for animal husbandry/fisheries shall be within the overall limit of Rs. 3 lakh.
			(ii) To provide an additional interest subvention of 3% per annum to such of those farmers repaying in time i.e. from the date of disbursement of the working capital loan upto the actual date of repayment by farmers or upto the due date fixed by the hanks for repayment of loan, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement. This also implies that the farmers repaying promptly as above would get short term

loans @ 4% per annum during the years 2018-19 and 2019-20. This benefit would accrue to only those farmers who repay their both short term crop loan and working capital loan for animal husbandry/fisheries activities in time: Interest subvention is to be provided on a maximum limit of Rs. 2 lakh short term loan to farmers involved in animal husbandry and fisheries. The farmers already possessing KCC (crop loan) and involved in animal husbandry & fisheries activities, can avail a sub-limit for such activities. However, the interest subvention and prompt repayment incentive benefit on short term loan (i.e. crop loan+ working capital loan for animal husbandry and fisheries) will be available only on an overall limit of Rs. 3 lakh per annum and subject to a maximum limit of Rs. 2 lakh per farmer involved in activities only related to animal husbandry and / or fisheries. The limit for crop loan component will take priority for interest subvention and prompt repayment incentive benefits and the residual amount will be considered towards animal husbandry and / or fisheries subject to cap as mentioned above. Collateral No collateral required up to Rs. 1.6 lakh. In the case of farmers whose milk is procured by Milk Unions falls under tie up arrangements between the producers and processing units without any intermediaries by crediting the payment directly to their bank account and hence the credit limits without Collateral can be upto Rs.3 lakh. In this case undertaking is required from milk union. Milk Union can enter into general Tri partite agreement with Bank and farmer (if farmers are agreeable) and assure payment of KCC dues to the bank, in case of default. In such case Bank may make use of RBI guidelines to extend credit limit without collateral up to Rs.3 lakh as the farmer already has the tie up arrangement with processing cum marketing unit (Milk Union) without any intermediaries. Payment made by dairy union to the dairy farmers availing KCC should be through the designated KCC account only. The Milk Union can also enter into a no cost service arrangement with the bank to pay the bank dues timely so that the farmers can avail the additional interest subvention of 3% p.a. for prompt repayment and the enhanced collateral free credit limit. Documents 1. Proof of identity: Self attested copy of Voter's ID Card / Driving Licence / PAN Card / Aadhar Card required (InGeneral) / Passport / Photo IDs issued by Govt. authority Proof of Residence: Recent telephone bill / electricity bill / property tax receipt (not older than 2 months) / Voter's ID Card / Aadhar Card / Passport / Certificate issued by Govt. Authority / Local Panchayat / Municipalities etc. Applicant's recent Photograph (2 copies) not older than 6months. Land record - only if applicable.

<u></u>		No. of milch animals/animals held by the applicant and undertaking from the
().	·	farmer that the animals will not be disposed off and in case there is need
Ì	·	animal will be replaced with other animal.
9	For	Detail of space/shed available for keeping the animals/ running the activity
′	Dairy/Animal	(including whether owned or rented/ leased)- sufficient space/shed should be
	Husbandry	available for keeping the animals as per NABARD guideline.
	Activities	available for keeping the ainmais as per trabated guideline.
	Activities	1. No. of blade held by the englished for Deciled I proposed undertaking for
1		i. No. of birds held by the applicant for Broiler/ Layer and undertaking from
		the farmer that the birds will not be disposed off and in case there is need birds
1	For poultry	will be replaced with other birds/ new flock.
	Activities	ii. Detail of space/shed available for keeping the birds/ running the activity
1		(including whether owned or rented/ leased)- sufficient space/shed should be
		available for keeping the birds.
	J	available for keeping the ones.
	· ·	iii. Insurance of Birds must / to be obtained by the applicant and if required
		can be considered for financing. (Waiver of bird insurance with the condition
		that the borrower undertakes to create one time risk fund @ Rs 5.00 per bird
		per year. The corpus will be linked to full (Maximum number of layer)
		capacity of the bird in the poultry farm.)
	For fisheries	i. In case of Inland and Brackish Water Fisheries
	Activities	1. In case of inflatio and Brackish water I islicites
	Activities	Area of pond/ Tank held by the applicant/ detail of lakes, reservoirs
		where activity is undertaken.
		Detail of area in case brackish water (saline water) fish and prawn
.]		farming applicable for coastal areas
		Details of source for availability fingerlings/seeds
	٠.	Detail of license/permission for fishing from competent authority.
		ii. Marine Fisheries: By way of
		Traditional fishing through country boats.
		Coastal mechanized fishing through mechanized motorboats.
		Deep sea fishing through fishing trawlers/vessels.
		Detail of license/permission for fishing from competent authority.
10	How to apply	Applicant can submit the application in physical mode by filling application
10	nion to apply	form or through online mode to any bank branch in their operational area.
· .		Total of the organic motor to drift outliet of their operational area.
	:	Simplified pro-forma devised by IBA to be used for submitting the application
		omplified pro-tolling dovised by the to be used for submitting the application
Ь		

12.

SOP for Animal Husbandry and Fisheries Kisan Credit Card for Banks.

S	Title	Criteria
No.		
1	Purpose	KCC facility to meet the Short Term credit requirements of rearing of animals, birds, fish, shrimp, other aquatic organisms, capture of fish.
2	Eligibility	
	Fishery	1.Inland Fisheries and Aquaculture:
		Fishers. Fish Farmers (individual & groups/ partners/ share croppers/ tenant farmers), Self Help Groups, Joint Liability Groups and women groups.
		The beneficiaries must own or lease any of the fisheries related activities such as pond, tank, open water bodies, raceway, hatchery, rearing unit, possess necessary license for fish farming and fishing related activities, and any other State specific fisheries and allied activities.
		2 Marine Fisheries:
		Beneficiaries listed above, who own or lease registered fishing vesse//boat, possess necessary fishing license/permission for fishing in estuary and sea, fish farming/mariculture activities in estuaries and open sea and any other State specific fisheries and allied activities.
	Poultry and	Farmers, poultry farmers either individual or joint borrower, Joint Liability
	small ruminant	Groups or Self Help Groups including tenant farmer of sheep/ goats/ pigs/poultry birds/rabbit and having owned/rented/leased sheds.
		Farmers and Dairy farmers either individual or joint borrower, Joint Liability Groups or Self Help Groups including tenant farmers halling owned /rented/leased sheds.
3	Scale of	The scale of finance will be fixed by the District Level Technical Committee
		(DLTC))/State Level Technical Committee (SLTC) based on local cost worked
		out on the basis of per acre/per unit/ per animal/per bird etc. The maximum period for assessment of working capital requirement may be based on the cash flow statement or completion of one production cycle.
	1	Fisheries and Animal Husbandry experts of the Govt, may be made members of the DLTC for giving technical inputs for assessing the cash credit requirement.

,			
		Fisheries Animal Husbandry	The working capital components in fisheries, under the scale of finance, may include recurring cost towards seed, feed, organic and inorganic fertilisers, lime/other soil conditioners, harvesting and marketing charges, fuel/electricity charges, labour, lease rent (if leased water area) etc. For capture fisheries, working capital may include the cost of fuel, ice, labouring charges, mooring/landing charges etc. may form part of the scale of finance. The working capital components in Animal Husbandry, under the scale of finance, may include recurring cost towards feeding, Insurance of the Milch animals, veterinary aid, labour, water and electricity supply.
	4	Drawing power	The drawing power will be worked on the basis of the latest valuation of stocks, receivables and/or cash flows as per terms of sanction.
	5	Repayment	The loan will be in the nature of a revolving cash credit limit. Repayment will be fixed as per the cash flow/income generation pattern of the activity undertaken by the borrower.
		end use	The account/smart card for the loan issued under the scheme is to be maintained / issued separately from the existing KCC loan to monitor the utilization limit. The monitoring of end use of funds will be in line with other loans (KCC on crop loans included) viz., field visits to the site of unit/project to be carried out by the branch officials for checking the progress of the unit. Banks will periodically review the facility and continue/withdraw/scale down the facility based on the performance of the borrower.
		Prudential norms	The extant prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning on allied activities will apply.
		interest	The rate of interest will be as stipulated by RBI guidelines issued from time to time.
		subvention	Government of India has issued the operational guidelines of the Interest Subvention Scheme for Kisan Credit Card facility to fisheries and animal husbandry farmers for a period of two years i.e. 2018- 19 and 2019-20 with the following stipulations:
		t i c	In order to provide short-term loans upto Rs.2 lakh to farmers involved in activities related to Animal Husbandry and Fisheries, through a separate KCC for these activities, apart from the existing KCC for crop loan, at a concessional interest rate of 7% per annum during the years 2018-19 and 2019-20, it has been decided to proVide interest subvention of 2% per annum to lending institutions viz. Public Sector Banks (PSBs) and Private Sector Commercial Banks (in respect of loans given by their rural and semi-urban branches only) on use of their own resources. This interest subvention of 2% will be calculated on the loan

amount from the date of its disbursement / drawal upto the date of actual repayment of the loan by the farmer or up to the due date of the loan fixed by the banks, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year. In case of farmers possessing KCC for raising crops and involved in activities related to animal husbandry and/or fisheries, the KCC for animal husbandry/fisheries shall be within the overall limit of 13lakh.

To provide an additional interest subvention of 3% per annum to such of those farmers repaying in time i.e. from the date of disbursement of the working capital loan upto the actual date of repayment by farmers or upto the due date fixed by the banks for repayment of loan, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement. This also implies that the farmers repaying promptly as above would get short term loans @ 4% per annum during the years 2018-19 and 2019-20. This benefit would accrue to only those farmers who repay their both short term crop loan and working capital loan for animal husbandry/fisheries activities in time.

Interest subvention is to be provided on a maximum limit of Rs.2 lakh short term loan to farmers involved in animal husbandry and fisheries. The farmers already possessing KCC (crop loan) and involved in animal husbandry & fisheries activities, can avail a sub-limit for such activities. However, the interest subvention and prompt repayment incentive benefit on short term loan (i.e. crop loan+ working capital loan for animal husbandry and fisheries) will be available only on an overall limit of 1 3 lakh per annum and subject to a maximum limit of Rs. 2 lakh per farmer involved in activities only related to animal husbandry and / or fisheries. The limit for crop loan component will take priority for interest subvention and prompt repayment incentive benefits and the residual amount will be considered towards animal husbandry and / or fisheries subject to cap as mentioned above.

No collateral required up to Rs. 1.6 lakh.

10 Collateral

In the case of farmers whose milk is procured by Milk Unions falls under tie up arrangements between the producers and processing units without any intermediaries by crediting the payment directly to their bank account and hence the credit limits without Collateral can be upto Rs.3 lakh. In this case undertaking is required from milk union.

Milk Union can enter into general Tri partite agreement with Bank and farmer (if farmers are agreeable) and assure payment of KCC dues to the bank, in case of default. In such case Bank may make use of use of RBI guidelines to extend credit limit without collateral up to Rs.3 lakh as the farmer already has the fie up arrangement with processing cum marketing unit (Milk Union) without any intermediaries. Payment made by dairy union to the dairy farmers availing KCC should be through the designated KCC account only.

r	- ·		
(The Milk Union can also enter into a no cost service arrangement with the bank to pay the bank dues timely so that the farmers can avail the additional interest subvention of 3% p.a. for prompt repayment as well as the enhanced collateral free credit limit.
			Proof of identity: Self attested copy of Voter's ID Card / Driving Licence / PAN Card / Aadhar Card
			/ Passport / Photo IDs issued by Govt. authority etc. Proof of Residence: Recent telephone bill / electricity bill / property tax receipt
	11 .		(not older than
	.	Documents required (In	2 months) / Voter's ID Card / Aadhar Card / Passport / Certificate issued by Govt. Authority / Local Panchayat / Municipalities etc.
		,	Applicant's recent Photograph (2 copies) not older than 6months.
		General)	Land record - only if applicable.
		. ,	No. of milch animals/animals held by the applicant and undertaking from the
			farmer that the animals will not be disposed off and in case there is need animal
•	- †:.		will be replaced with other animal.
		For	Detail of space/shed available for keeping the animals/ running the activity
		Dairy/Animal	(including whether owned or rented/ leased)- sufficient space/shed should be
		Husbandry	available for keeping the animals as per NABARD guideline.
		Activities	
			No. of birds held by the applicant for Broiler/Layer and undertaking from the farmer that the birds will not be disposed off and in case there is need birds will be replaced with other birds/ new flock.
•	. · ·	For poultry	
	· .	Activities	Detail of space/shed available for keeping the birds/ running the activity
	'		(including whether owned or rented/ leased)- sufficient space/shed should be
	· .		available for keeping the birds.
			iii. Insurance of Birds must / to be obtained by the applicant and if required can
			be considered for financing. (Waiver of bird insurance with the condition that the
			borrower undertakes to create one time risk fund @ Rs 5.00 per bird per year.
			The corpus will be linked to full (Maximum number of layer) capacity of the bird
			in the poultry farm.)
			In case of Inland and Brackish Water Fisheries
			Area of pond/ Tank held by the applicant/ detail of lakes, reservoirs where activity is undertaken.
		· .	Detail of area in case brackish water (saline water) fish and prawn farming
			applicable for coastal areas
		·	Details of source for availability fingerlings/seeds
			Detail of license/permission for fishing from competent authority.
		For fisheries	·

	Activities	Marine Fisheries: by way of
	Activities	Traditional fishing through country boats.
		Coastal mechanized fishing through mechanized motorboats.
		Deep sea fishing through fishing trawlers/vessels.
		Excep sea fishing though fishing travers vessels.
		Detail of license/permission for fishing from competent authority.
12	Application Mode	Applicant can submit the application in physical mode by filling application form or through online mode to any bank branch in their operational area.
13	General	i. The application form should be uploaded on the websites of all banks and widely disseminated in local language
		ii. To ensure prompt processing and approvals, dedicated desks may be set up
	Banks	in the branches, wherever feasible, for receiving forms and providing
		appropriate guidance to the Animal Husbandry and Fishery farmers.
		iii. While filling of the application form, the applicant will be encouraged to give consent for coverage under PMSBY and PMJJBY, as this would
		provide the much needed social security cover to the farmers, besides the
or Car	mysteric francisco ***	facility of KCC.
~·		iv. Application received by the banks from eligible animal Husbandry, dairy
		and fishery activities should be processed expeditiously within a maximum
		period of two weeks from date of submission of complete application
		form) as per the extant guidelines for issue of fresh KCC or, enhancement of the existing KCC limit or, activation of inoperative KCC account after due
		process and verification as per Bank Policy and regulatory guidelines.
- 1		v. Reason for rejection if any should be clearly communicated to the applicant.
		vi. Banks should report online the progress of KCC sanctioned to Animal
.]		Husbandry, dairy and Fishery farmers to D/o Financial Services regularly
		vii. The Indian Banks Association, vide letter no SB/Cir/KCC/2018-19/6778
		dated 04.02.2019, had issued an advisory guideline to all the banks to waive the processing, documentation, inspection, ledger folio charges and all other
		service charges for KCC/crop loans upto Rs 3 lakh, keeping in view that
		hardship and financial distress of landless, small and marginal farmers.
-		These directions may be followed while processing the application for issue
		of KCC.
		*eligible beneficiaries of PM_KISAN and farmers engaged in dairy, poultry
		and fisheries are issued KCC within the shortest possible time, within a
		maximum period of two weeks from submission of the completed application
		forms, after due process and verification as per Bank policy and regulatory
		guidelines.

पश्पालन और मत्स्यपालन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दिशा-निर्देश - आवेदक

क्र. सं.	शीर्षक	मानदंड
-	उद्देश्य	पशुओं, पक्षियों, मछली झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन, मछली पकड़ने
1.		अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केसीसी सुविधा।
	पात्रता	
2.	मत्स्यपालन	1. अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि
		मकुआरे, मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / बटाईदार / काश्तकार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।
		लाभार्थियों को मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों जैसे तालाब, टैंक, खुले जल
		निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई, मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित
		गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस, और राज्य के किसी भी अन्य विशिष्ट
		मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों का स्वामित्व या पट्टे पर होना चाहिए।
		2.समुद्री मत्स्य पालनः
		ऊपर सूचीबद्ध लाभार्थी, जो पंजीकृत मछली पकइने के जहाज/ नाव के
		मालिक हैं या पट्टे पर हैं, , मुहाना (एश्चुयरी) और खुलें समुद्र और राज्य के
		किसी भी अन्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों में मछली
		पालन/ समुद्री कृषि क्रियाकलापों उनके पास मुहाने (एश्च्यरी) और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस/ अनुमति है।
		किसान, कुक्कुट किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता
	कुक्कुट और छोटे	समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें भेड़/बकरी/सूअर/कुक्कुट पक्षी/खरगोश के
	जुगाली करने वाले पशु	किरायेदार किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व/किराए पर/पट्टे/शेड हैं।
	<u>ड</u> ेयरी	किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त
		देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें किरायेदार किसान शामिल हैं
		जिनके पास स्वामित्व/किराए पर/पट्टे पर शेड हैं।

	100	
3.	निधियन का स्तर	निधियन का स्तर जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)/राज्य स्तरीय
		तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा स्थानीय लागत के आधार पर प्रति
		यूनिट/प्रति पशु/प्रति पक्षी आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
		मूल्यांकन के लिए अधिकतम अवधि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नकदी
		प्रवाह विवरण या एक उत्पादन चक्र के पूरा होने पर आधारित हो सकती है।
		सरकार के मत्स्य पालन और पशुपालन विशेषज्ञ को नकद ऋण आवश्यकता
]		का आकलन करने के लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए डीएलटीसी का
)		सदस्य बनाया जा सकता है।
	मत्स्यपालन	निधियन के स्तर के तहत मत्स्य पालन में कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, चारा,
)		जैविक और अकार्बनिक उर्वेरक, चूना/ अन्य मिट्टी कंडीशनर, कटाई और
1		विपणन शुल्क, ईंधन/ बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया (यदि जल क्षेत्र पट्टे पर
1		है) आदि की आवर्ती लागत शामिल हो सकती है। कैप्चर मात्स्यिकी के लिए,
1		कार्यशील पूंजी में ईंधन की लागत, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/ लैंडिंग शुल्क आदि
		शामिल हो सकते हैं, जो निधियन के स्तर का हिस्सा हो सकते हैं।
1	पशुपालन	निधियन के स्तर के तहत पशुपालन में कार्यशील पूंजी घटकों में भोजन, पशु
1		चिकित्सा सहायता, दुधारू पशुओं का बीमा, श्रम, पानी और बिजली आपूर्ति की
1		आवर्ती लागत शामिल हो सकती है।
4.	आहरण शक्ति	आहरण शक्ति को मंजूरी की शर्तों के अनुसार स्टॉक, प्राप्य और/ या नकदी
		प्रवाह के नवीनतम मूल्यांकन के आधार पर काम किया जाएगा।
5.	अदायगी	ऋण एक परिक्रामी नकद ऋण सीमा की प्रकृति का होगा। अदायगी उधारकर्ता
		द्वारा की गई क्रियाकलाप के नकदी प्रवाह/ आय सृजन पैटर्न के अनुसार तय
		की जाएगी।
6.	ब्याज की दर	ब्याज की दर समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार
		होगी
7.	ब्याज सहायता	भारत सरकार ने मतस्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को दो साल
}	}	यानी 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ
}		किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए ब्याज छूट योजना के परिचालन दिशानिर्देश
		जारी किए हैं:
	}	(i) पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों को
	}	2 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए, इन गतिविधियों
		के लिए एक अलग केसीसी के माध्यम से, फसल ऋण के लिए मौजूदा केसीसी
!		के अलावा, रियायती ब्याज दर पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 7%
		प्रति वर्ष की दर से अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर, ऋण देने वाली
	L	

संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज) और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (केवल अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) को 2% प्रति वर्ष का ब्याज सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । 2% के इस ब्याज सबवेंशन की गणना ऋण राशि पर उसके वितरण/ आहरण की तारीख से किसान द्वारा ऋण की वास्तविक अदायगी की तारीख तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, अधिकतम एक वर्ष की अविध के अधीन, जो भी पहले हो, तक की जाएगी। फसल उगाने के लिए केसीसी रखने वाले और पशुपालन और / या मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल किसानों के मामले में, पशुपालन / मत्स्य पालन के लिए केसीसी 3 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर होगा।

ii) समय पर भुगतान करने वाले किसानों को कार्यशील पूंजी ऋण के वितरण की तारीख से किसानों द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित देय तिथि तक, जो भी पहले हो, संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन 3% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करना। इसका तात्पर्य यह भी है कि उपरोक्त के रूप में तुरंत अदा करने वाले किसानों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पकालिक ऋण मिलेगा। यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पशुपालन /मत्स्य पालन क्रियाकलापों के लिए अल्पावधि फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों को समय पर च्काते हैं।

पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए पर अल्पाविध ऋण ब्याज सहायता प्रदान किया जाना है। ऐसे किसान जो पहले से केसीसी (फसल ऋण) रखते हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन क्रियाकलापों में शामिल हैं, ऐसी क्रियाकलापों के लिए उप-सीमा का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, अल्पाविध ऋण (यानी फसल ऋण + पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) पर ब्याज सबवेंशन और त्विरत पुनर्भुगतान प्रोत्साहन लाभ केवल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की समग्र सीमा पर उपलब्ध होगा और पशुपालन और/ या मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल प्रति किसान अधिकतम 2 लाख रुपए तक होगा । फसल ऋण घटक की सीमा ब्याज सहायता और शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन लाभ के लिए प्राथमिकता लेगी और शेष राशि को पशुपालन और / या मत्स्य पालन के लिए ऊपर उल्लिखित सीमा के अधीन माना जाएगा।

कोलैटेरल

1.6 लाख तक कोई कोलैटेरल की आवश्यकता नहीं है। उन किसानों के मामले में जिनका दूध दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है,

8.

11

उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलिए के भगतान को सीधे उनके बैंक खाते में जमा करके टाई-अप व्यवस्था के तहत आता है और इसलिए कोलैटेरल के बिना क्रेडिट सीमा 3 लाख रुपये तक हो सकती है। इस मामले में दुग्ध संघ से उपक्रम की आवश्यकता है। दुग्ध संघ बैंक और किसान (यदि किसान सहमत हैं) के साथ सामान्य त्रिपक्षीय समझौता कर सकता है और चुक के मामले में बैंक को केसीसी बकाया भगतान का आश्वासन दे सकता है। ऐसे मामले में बैंक बिना कोलैटेरल रुपये तक की क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों का उपयोग कर सकता है जैसा की किसान पहले से ही बिना किसी बिचौलियों के प्रसंस्करण सह विपणन इकाई (दूध संघ) के साथ गठजोड़ की व्यवस्था कर चुके हैं। केसीसी का लाभ उठाने वाले डेयरी किसानों को डेयरी यूनियन दवारा भगतान केवल नामित केसीसी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। दुग्ध संघ समय पर बैंक बकाया का भ्गतान करने के लिए बैंक के साथ एक नो कॉस्ट सर्विस व्यवस्था भी कर सकता है ताकि किसान शीघ्र पुनर्भगंतान और बढ़ी हुई कोलैटेरल मुक्त ऋण सीमा के लिए 3% प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज सहायता का लाभ उठा सकें। 1. पहुंचान प्रमाण पत्र: सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड / आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / फोटो आईडी की सेल्फ दस्तावेज़(सामान्य अटेस्टेड कॉपी आदि। रूप में) निवास प्रमाण पत्र: सरकारी प्राधिकरण / स्थानीय पंचायत / नगर पालिका द्वारा जारी हालिया टेलीफोन बिल / बिजली बिल / संपत्ति कर रसीद (2 महीने से अधिक पुरानी नहीं) / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / पासपोर्ट / प्रमाण पत्र आदि। आवेदक का हालिया फोटों (2 प्रतियां) जो 6 महीने से अधिक प्राना नहीं हो। भूमि रिकॉर्ड - यदि लागू हो तो ही। आवेदक द्वारा रखे गए दुधारू पशुओं/ जानवरों की संख्या और किसान की ओर पश्पालन और से वचनबद्धता कि पशुओं का निपटान (डिस्पोज़ ऑफ) नहीं किया जाएगा और डेयरी क्रियाकलापों जरूरत पड़ने पर पश् को अन्य पश्ओं के साथ बदल दिया जाएगा। के लिए पश्ओं को रखने/ क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध स्थान/ शेंड का विवरण (स्वामित्व या किराए/ पट्टे सहित) - नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार पश्ओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/शेड उपलब्ध होना चाहिए। ा. ब्रायलर/लेयर के लिए आवेदक द्वारा रखे गए पक्षियों की संख्या और कुक्कुट पालन

(J		
	क्रियाकलापों के लिए	किसान से यह वचनपत्र कि पक्षियों का निपटान (डिस्पोज़ ऑफ) नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पिक्षियों को अन्य पिक्षियों/ नए झुंडों के साथ बदल दिया जाएगा। ii. द्वितीय पिक्षियों को रखने/ क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध स्थान/ शेड का विवरण (स्वामित्व या किराए/ पट्टे सिहत) - पिक्षियों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/ शेड उपलब्ध होना चाहिए। iii. आवेदक द्वारा पिक्षियों का बीमा किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वित्तपोषण के लिए विचार किया जा सकता है। (पिक्षी बीमा की छूट इस शर्त के साथ कि उधारकर्ता प्रति वर्ष 5.00 रुपये प्रति पिक्षी की दर से एकमुश्त जोखिम निधि बनाने का वचन देता है। कॉर्पस को पूर्ण (पोल्ट्री फार्म में पिक्षी की परत क्षमता की अधिकतम संख्या) से जोड़ा जाएगा।
	मत्स्यपालन क्रियाकलापों के लिए	 ं. अंतर्देशीय और खारे पानी की मात्स्यिकी के मामले में आवेदक द्वारा धारित तालाब/टैंक का क्षेत्र/झीलों, जलाशयों का विवरण जहां क्रियाकलाप किया जाती है। तटीय क्षेत्रों के लिए लागू खारे पानी (खारा पानी) मछली और झींगा पालन के मामले में क्षेत्र का विवरण उपलब्धता के लिए स्रोत का विवरण फिंगरलिंग/ बीज सक्षम प्राधिकारी से मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस/ अनुमति का विवरण। ंii. समुद्री मत्स्य पालन: देशी नौकाओं के माध्यम से पारंपरिक मछली पकड़ना। यंत्रीकृत मोटरबोटों के माध्यम से तटीय यंत्रीकृत मछली पकड़ना। मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों/ पोतों के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ना। सक्षम प्राधिकारी से मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस/ अनुमति का विवरण
10.	आवेदन कैसे करें	आवेदक अपने परिचालन क्षेत्र में किसी भी बैंक शाखा में आवेदन पत्र भरकर या ऑनलाइन मोड के माध्यम से भौतिक मोड में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए आईबीए द्वारा तैयार किया गया सरलीकृत प्रो-फॉर्मा का प्रयोग करें।

पश्पालन और मत्स्यपालन किसान क्रेडिट कार्ड वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश

क्र. सं.	शीर्षक	मानदंड
1.	उद्देश्य	पशुओं, पक्षियों, मछली झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन, मछली पकड़ने अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केसीसी सुविधा।
	पात्रता	
2.	मत्स्यपालन	1. अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि
		मछुआरे, मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / बटाईदार / काश्तकार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।
		लाभार्थियों को मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलापों जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकायों, रेंसवे, हैचरी, पालन इकाई, मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए आवश्यक लाइसेंस, और राज्य के किसी भी अन्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध क्रियाकलापों का स्वामित्व या पट्टे पर होना चाहिए।
	कुक्कुट और छोटे जुगाली करने वाले	2.समुद्री मत्स्यपालनः ऊपर सूचीबद्ध लाभार्थी, जो पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाज/ नाव के मालिक हैं या पट्टे पर हैं, , मुहाना (एश्चुयरी) और खुले समुद्र और राज्य के किसी भी अन्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध क्रियाकलापों में मछली पालन/ समुद्री कृषि क्रियाकलापों उनके पास मुहाने (एश्च्यरी) और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस/ अनुमति है। किसान, कुक्कुट किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें भेड़/ बकरी/सूअर/ कुक्कुट पक्षी/ खरगोश के किरायेदार किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व/किराए पर/पट्टे
	पशु	पर/शेड हैं।
	डेयरी	किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें किरायेदार किसान शामिल हैं जिनके पास स्वामित्व/ किराए पर/ पट्टे पर शेड हैं।

1		
(c)		
3.	निधियन का स्तर	निधियन का स्तर जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)/राज्य स्त तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा स्थानीय लागत के आधार पर यूनिट/प्रति पशु/प्रति पक्षी आदि के आधार पर निर्धारित किया जाए मूल्यांकन के लिए अधिकतम अवधि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नव प्रवाह विवरण या एक उत्पादन चक्र के पूरा होने पर आधारित हो सकती है। सरकार के मत्स्य पालन और पशुपालन विशेषज्ञ को नकद ऋण आवश्यव
		का आकलन करने के लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए डीएलटीसी सदस्य बनाया जा सकता है।
	मत्स्यपालन	निधियन के स्तर के तहत मत्स्य पालन में कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, च जैविक और अकार्बनिक उर्वरक, चूना/ अन्य मिट्टी कंडीशनर, कटाई विपणन शुल्क, ईंधन/ बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया (यदि जल क्षेत्र पट्टे है) आदि की आवर्ती लागत शामिल हो सकती है। कैप्चर मात्स्यिकी के वि कार्यशील पूंजी में ईंधन की लागत, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/ लैंडिंग शुल्क 3 शामिल हो सकते हैं, जो निधियन के स्तर का हिस्सा हो सकते हैं।
	पशुपालन	निधियन के स्तर के तहत पशुपालन में कार्यशील पूंजी घटकों में भोजन, चिकित्सा सहायता, दुधारू पशुओं का बीमा, श्रम, पानी और बिजली आपूर्ति आवर्ती लागत शामिल हो सकती है।
4.	आहरण शक्ति	आहरण शक्ति को मंजूरी की शतों के अनुसार स्टॉक, प्राप्य और/ या न प्रवाह के नवीनतम मूल्यांकन के आधार पर काम किया जाएगा।
5.	अदायगी	ऋण एक परिक्रामी नकद ऋण सीमा की प्रकृति का होगा। अदायगी उधारव द्वारा की गई क्रियाकलाप के नकदी प्रवाह/ आय मृजन पैटर्न के अनुसार की जाएगी।
6.	अंतिम उपयोग की निगरानी	उपयोग सीमा की निगरानी के लिए योजना के तहत जारी किए गए ऋण लिए खाता/स्मार्ट कार्ड मौजूदा केसीसी ऋण से अलग से बनाए रखा/ र किया जाना है। निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी अन्य ऋणों (फ ऋणों पर केसीसी शामिल) के अनुरूप होगी, अर्थात इकाई की प्रगति की र के लिए शाखा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले इकाई/ परियोजना की स पर क्षेत्र का दौरा। बैंक समय-समय पर सुविधा की समीक्षा करेंगे उधारकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर सुविधा को जारी /वापसी/ कम करेंगे
7.	उचित मानदंड	आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और संबद्ध क्रियाकलापों पर प्राव पर मौजूदा उचित मानदंड लागू होंगे
8.	ब्याज की दर	ब्याज की दर समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनु

.

9. ब्याज सहायता

भारत सरकार ने मतस्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को दो साल यानी 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए ब्याज सहायता योजना के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(i) पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल किसानों को 2 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए, इन क्रियाकलापों के लिए एक अलग केसीसी के माध्यम से, फसल ऋण के लिए मौजूदा केसीसी के अलावा, रियायती ब्याज दर पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 7% प्रति वर्ष की दर से अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर, ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज) और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (केवल अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) को 2% प्रति वर्ष का ब्याज सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । 2% के इस ब्याज सहायता की गणना ऋण राशि पर उसके वितरण/ आहरण की तारीख से किसान द्वारा ऋण की वास्तविक अदायगी की तारीख तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, अधिकतम एक वर्ष की अविध के अधीन, जो भी पहले हो, तक की जाएगी। फसल उगाने के लिए केसीसी रखने वाले और पशुपालन और / या मत्स्यपालन से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल किसानों के मामले में, पशुपालन / मत्स्यपालन के लिए केसीसी 3 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर होगा।

ii) समय पर भुगतान करने वाले किसानों को कार्यशील पूंजी ऋण के वितरण की तारीख से किसानों द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित देय तिथि तक, जो भी पहले हो, संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन 3% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करना। इसका तात्पर्य यह भी है कि उपरोक्त के रूप में तुरंत अदा करने वाले किसानों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पकालिक ऋण मिलेगा। यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पशुपालन /मत्स्यपालन क्रियाकलापों के लिए अल्पाविध फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों को समय पर चुकाते हैं।

पशुपालन और मत्स्यपालन से जुड़े किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए पर अल्पाविध ऋण ब्याज सहायता प्रदान किया जाना है। ऐसे किसान जो पहले से केसीसी (फसल ऋण) रखते हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन क्रियाकलापों में शामिल हैं, ऐसी क्रियाकलापों के लिए उप-सीमा का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, अल्पाविध ऋण (यानी फसल ऋण + पश्पालन और मत्स्य पालन के लिए

कार्यशील पूंजी ऋण) पर ब्याज सहायता और त्वरित पुनरदायगी प्रोत्साहन लाभ केवल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की समग्र सीमा पर उपलब्ध होगा और पश्पालन और/ या मत्स्यपालन से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल प्रति किसान अधिकतम 2 लाख रुपए तक होगा । फसल ऋण घटक की सीमा ब्याज सहायता और शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन लाभ के लिए प्राथमिकता लेगी और शेष राशि को पश्पालन और / या मत्स्यपालन के लिए ऊपर उल्लिखित सीमा के अधीन माना जाएगा। 1.6 लाख तक कोई कोलैटेरल की आवश्यकता नहीं है। 10. कोलैटेरल उन किसानों के मामले में जिनका दूध दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलिए के भ्गतान को सीधे उनके बैंक खाते में जमा करके टाई-अप व्यवस्था के तहत आता है और इसलिए कोलैटेरल के बिना क्रेडिट सीमा 3 लाख रुपये तक हो सकती है। इस मामले में दुग्ध संघ से उपक्रम की आवश्यकता है। दुग्ध संघ बैंक और किसान (यदि किसान सहमत हैं) के साथ सामान्य त्रिपक्षीय समझौता कर सकता है और चूक के मामले में बैंक को केसीसी बकाया भुगतान का आश्वासन दे सकता है। ऐसे मामले में बैंक बिना कोलैटेरल के 3 लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों का उपयोग कर सकता है जैसा की किसान पहले से ही बिना किसी बिचौलियों के प्रसंस्करण सह विपणन इकाई (दूध संघ) के साथ गठजोड़ की व्यवस्था कर चुके हैं। केसीसी का लाभ उठाने वाले डेयरी किसानों को डेयरी यूनियन द्वारा भ्गतान केवल नामित केसीसी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। दुग्ध संघ समय पर बैंक बकाया का भुगतान करने के लिए बैंक के साथ एक नो कॉस्ट सर्विस व्यवस्था भी कर सकता है ताकि किसान शीघ्र पुनर्भ्गतान और बढ़ी हुई कोलैटेरल मुक्त ऋण सीमा के लिए 3% प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज सहायता का लाभ उठा सकें! 1. पहचान प्रमाण पत्र: सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड / आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / फोटो आईडी की सेल्फ दस्तावेज़(सामान्य अटेस्टेड कॉपी आदि। रूप में) निवास प्रमाण पत्रः सरकारी प्राधिकरण / स्थानीय पंचायत / नगर पालिका द्वारा जारी हालिया टेलीफोन बिल / बिजली बिल / संपत्ति कर रसीद (2 महीने से अधिक प्रानी नहीं) / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / पासपोर्ट / प्रमाण पत्र आदि।

10

	<u> </u>	\ _e)
		आवेंदक का हालिया फोटो (2 प्रतियां) जो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। भूमि रिकॉर्ड - यदि लागू हो तो ही।
11.	पशुपालन और	आवेदक द्वारा रखे गए द्धारू पश्ओं/ जानवरों की संख्या और किसान की ओर
	डेयरी क्रियाकलापों	से वचनबद्धता कि पश्ओं का निपटान (डिस्पोज़ ऑफ) नहीं किया जाएगा और
	के लिए	जरूरत पड़ने पर पशु को अन्य पशुओं के साथ बदल दिया जाएगा।
		पश्ओं को रखने/ क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध स्थान/ शेंड का विवरण
		(स्वामित्व या किराए/ पट्टे सहित) - नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार पश्ओं
		को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/शेंड उपलब्ध होना चाहिए।
	कुक्कुट पालन	iv. ब्रायलर/लेयर के लिए आवेदक द्वारा रखे गए पक्षियों की संख्या और
	क्रियाकलापों के	किसान से यह वचनपत्र कि पक्षियों का निपटान (डिस्पोज़ ऑफ) नहीं किया
	लिए	जाएगा और जरूरत पड़ने पर पक्षियों को अन्य पक्षियों। नए झुंडों के साथ
		बदल दिया जाएगा।
		v. द्वितीय पक्षियों को रखने/ क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध स्थान/ शेड का
		विवरण (स्वामित्व या किराए/ पट्टे सहित) - पक्षियों को रखने के लिए
		पर्याप्त स्थान/ शेंड उपलब्ध होना चाहिए।
		vi. आवेदक द्वारा पक्षियों का बीमा किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो
		तो वित्तपोषण के लिए विचार किया जा सकता है। (पक्षी बीमा की छूट इस
		शर्त के साथ कि उधारकर्ता प्रति वर्ष 5.00 रुपये प्रति पक्षी की दर से
		एकमुश्त जोखिम निधि बनाने का वचन देता है। कॉर्पस को पूर्ण (पोल्ट्री
		फार्म में पक्षी की परत क्षमता की अधिकतम संख्या) से जोड़ा जाएगा।
	मत्स्यपालन	iii. अंतर्देशीय और खारे पानी की मात्स्यिकी के मामले में
	क्रियाकलापों के	आवेदक द्वारा धारित तालाब/टैंक का क्षेत्र/झीलों, जलाशयों का विवरण जहां
	लिए	क्रियाकलाप किया जाती है।
•		तटीय क्षेत्रों के लिए लागू खारे पानी (खारा पानी) मछली और झींगा पालन
		के मामले में क्षेत्र का विवरण
		उपलब्धता के लिए स्रोत का विवरण फिंगरलिंग/ बीज
		सक्षम प्राधिकारी से मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस/ अनुमति का विवरण।
		iv. द्वितीय समुद्री मत्स्य पालन: के माध्यम से
		देशी नौकाओं के माध्यम से पारंपरिक मछली पकड़ना।
		यंत्रीकृत मोटरबोटों के माध्यम से तटीय यंत्रीकृत मछली पकड़ना।
		मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों/ पोतों के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली
		पकड़ना!

		सक्षम प्राधिकारी से मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस/ अनुमति का विवरण
12.	आवेदन का तरीका	आवेदक अपने परिचालन क्षेत्र में किसी भी बैंक शाखा में आवेदन पत्र भरकर या
		ऑनलाइन मोड के माध्यम से भौतिक मोड में आवेदन जमा कर सकते हैं
13.	बैंकों के लिए सामान्य सलाह	 अविदन पत्र सभी बैंकों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिए और स्थानीय भाषा में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए त्वरित प्रसंस्करण और अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी संभव हो, फार्म प्राप्त करने और पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को उचित
		मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शाखाओं में समर्पित डेस्क स्थापित किए जा सकते हैं। iii. आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत कवरेज के लिए सहमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि इससे केसीसी की सुविधा के अलावा किसानों को बहुत आवश्यक
		 सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। iv. पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियों से बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों को नए केसीसी जारी करने या मौजूदा में वृद्धि के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की तारीख से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के भीतर तेजी से संसाधित किया जाना चाहिए। केसीसी सीमा या, बैंक नीति और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार नियत प्रक्रिया और सत्यापन के बाद निष्क्रिय केसीसी खाते का सिक्रय करना। v. अस्वीकृति का कारण, यदि कोई हो, आवेदक को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। vi. बैंकों को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन किसानों को स्वीकृत केसीसी की प्रगति की ऑनलाइन रिपोर्ट वितीय सेवाओं के विभाग को नियमित रूप से देनी चाहिए
		vii. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दिनांक 04.02.2019 के पत्र संख्या एसबी/सीआईआर/केसीसी/2018-19/6778 के माध्यम से सभी बैंकों को प्रसंस्करण, दस्तावेज़ीकरण, निरीक्षण, खाता बही शुल्क और अन्य सभी सेवा शुल्क माफ करने के लिए एक परामर्शी दिशानिर्देश जारी किया था। भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाई और वितीय संकट को ध्यान में रखते हुए 3 लाख रुपये तक के केसीसी/ फसल ऋण के लिए। केसीसी जारी करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय इन निर्देशों का पालन किया जाए।



•पीएम_किसान के पात्र लाभार्थियों और डेयरी, मुर्गी पालन और मतस्य पालन में लगे किसानों को बैंक नीति और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया और सत्यापन के बाद, पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर, कम से कम संभव समय के भीतर केसीसी जारी किया जाता है।